Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. IV, Issue No. VIII, October-2012, ISSN 2230-7540

शिक्षा सुधार के अंतर्गत व्यवहारिक ज्ञान के पाठ्यक्रम का समावेश मानव कल्याण व सामाजिक अपराधों में कमी लाने हेतु आवश्यक

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. IV, Issue No. VIII, October-2012, ISSN 2230-7540

शिक्षा सुधार के अंतर्गत व्यवहारिक ज्ञान के पाठ्यक्रम का समावेश मानव कल्याण व सामाजिक अपराधों में कमी लाने हेतु आवश्यक

Lalita Pandey*

Research Scholar, Education

***सार** – विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का जन्म तात्कालिक समय के विकास, सूचना क्रांति, जनसंपर्क तथा विभिन्न कानूनों, नियमों व उपनियमों के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। वर्तमान समय में आर्थिक नीतियों व व्यवसायीकरण के फलस्वरुप वर्तमान शिक्षा उच्च शिक्षित युवाओं को वर्तमान पाठयक्रम के अनुसार पूर्ण ज्ञान प्रदान करने में अपूर्ण प्रतीत होती है। आज वर्तमान परिवेश में साइबर अपराध, सूचना तकनीक, उपभोक्ता नियमों, सामान्य कानूनी जानकारी के अभाव में उच्च शिक्षित तथा उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति भी आसानी से विभिन्न प्रकार की ठगी का शिकार हो जाते हैं जिसका प्रमुख कारण उपरोक्त विषयों के व्यवाहारिक ज्ञान की कमी का होना है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समग्र शिक्षा हेतु व्यवहारिक ज्ञान का समावेश शिक्षा में होना आवश्यक है।*

----------X----------

व्यवहारिक ज्ञान की अनिवार्यता से मानव कल्याण की परिकल्पना

शिक्षा सुधार कोई कल्पना नहीं अपितु मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। वर्तमान समाज में अनेक कुरीतियां देखने को मिल रही हैं जिसका मूल कारण हमारी शिक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम का त्रुटिपूर्ण होना है या हमको व्यवहारिक ज्ञान की समझ बेहद कम है। उच्च पदस्थ अधिकारियों से लेकर बुद्धिजीवियों का ज्ञान भी विषम परिस्तिथियों में व्यवहारिक ज्ञान की कमी के कारण कब शून्य हो जाता है और वह मानसिक तनाव या ठगी के शिकार हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वर्तमान समाज सूचना प्रौधोगिकी के विकास के कारण प्रतिदिन नए-नए आयामों को छूने की कोशिश में है लेकिन मूलभूत व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में शिक्षित लोग भी सामाजिक अपराधों की गिरफ्त में आ जाते हैं। अतः व्यवहारिक ज्ञान की अनिवार्यता से मानव कल्याण की परिकल्पना उक्त लेख के माध्यम से की जा रही है जो इस प्रकार है।

आज हमको परास्नातक होने के बाद भी मूलभूत जानकारियां नहीं होती हैं जैसे उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, उपभोक्ता कानून क्या है, सामान्य कानूनी धाराएं क्या-क्या होती हैं, व्यभिचार क्या है, ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जाए या हमको क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे हो सकता है या सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे विरुद्ध कोई अपराधी षड़यंत्र कैसे कर सकता है, सामाजिक सुरक्षा क्या है, प्रति व्यक्ति आय व सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ड्रग प्राइस कंट्रोल क्या है, उत्पादों का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, आयात निर्यात क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत कौन-कौन से रोग हैं, निःशुल्क आपातकालीन चिकित्सा के नियम क्या हैं, प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाता है, शिष्टाचार क्या हैं, प्राथमिक आपातकालीन संपर्क नंबर क्या हैं जैसे एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन सहायता इत्यादि, सामान्य तौर पर वेतन का निर्धारण कैसे किया जाता है, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, सामान्य श्रम कानून के नियम जैसे न्यूनतम वेतन के नियम, प्रोविडेंट फण्ड, सामान्य जीवन बीमा व टर्म बीमा के नियम या ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करना, ड्राफ्ट बनवाना, चैक का सही प्रयोग करना इत्यादि अनेक ऐसे सवाल हैं जिनको हम लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत भी नहीं जानते हैं और जिसके कारण अनेक बार पढ़े लिखे लोग भी उपरोक्त ज्ञान

www.ignited.in

के अभाव में ठगी के शिकार हो जाते हैं। उपरोक्त ज्ञान हेतु हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की जरूरत है।

व्यवहारिक ज्ञान की पुस्तक का समावेश

उपरोक्त कारणों व जानकारियों के अभाव में सामान्य व्यक्ति वर्तमान में ठगी का शिकार हो रहा है और सामाजिक दुष्परिणाम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। आज आधुनिकता के दौर में सभी शामिल होना चाहते हैं लेकिन मूलभूत जानकारियों के अभाव में या तो ठगी का शिकार हो जाते हैं या उक्त विषयों पर लड़ने या अपनी मांग को सही ठंग से प्रस्तुत करने का ज्ञान उनको नहीं होता है जिसके कारण उनके नियोक्ता आजीवन उनका शोषण करते रहते हैं। जब तक उपरोक्त वर्णित विषयों पर समस्त समाज को अथवा समस्त शिक्षित समाज को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा उनका मनोबल व आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा जो कि किसी भी न्याय के लिए पहली शर्त होती है।

जब तक आपके मन मस्तिष्क में इस बात का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है कि आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे क्योंकि उपरोक्त नियमों के अनुसार आप जानते हैं कि आपको छला जा रहा है या आपके साथ ठगी हो रही है। अतः आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए आपके और हमारे ज्ञान में उपरोक्त विषयों का समावेश होना आवश्यक है। सामाजिक अपराधों को कम करने के लिए और अप्रत्याशित घटना पर निर्णय लेने के लिए वर्तमान में उपरोक्त व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा तक व्यवहारिक व नैतिक शिक्षा की पुस्तक अनिवार्य की जानी चाहिए जिसमें उपरोक्त विषयों के साथ अन्य जानकारियां जो आवश्यक हों का समावेश किया जाये।

स्वरोजगार व रोजगार हेतु श्रम कानूनों का ज्ञान

देश के सभी युवाओं को बेसिक श्रम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। यदि भविष्य में आज का युवा स्वयं का उद्योग या व्यापार प्रारम्भ करता है तब भी उसको उक्त की जानकारी होनी चाहिए और यदि वह सेवा के क्षेत्र का चयन करता है तब भी श्रम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। आज के युवा उच्च शिक्षित तो हैं लेकिन अपने लक्ष्य को भेदने में असमर्थ हो रहे हैं क्योंकि उनको उपरोक्त वर्णित विषयों में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। जबकि सटीक ज्ञान से बिना विवाद के अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । क्या सभी विवादों का समाधान पुलिस ही करेगी ? संभव नहीं है, अनेक बार हम लोग या जनता अनेक विषयों पर आपस में लड़ लेते हैं और पुलिस कार्यवाही हो जाती है जो कि मूल विषय से उनको भटका देता है और जबकि उक्त का समाधान आपस में लड़ने के बजाय संबंधित विषय के अधिकारी के पास भेजने से होता। बेवजह पुलिस के चक्कर में पड़ने से विवाद के कारण का निवारण नहीं हो सकता है। अतः सभी को शिक्षित होना चाहिए और सभी शिक्षित लोगों को उपरोक्त श्रम कानूनों व व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।

ऑनलाइन ठगी रोकने में व्यवहारिक ज्ञान की उपयोगिता

अक्सर विभिन्न समाचार पत्रों में खबर देखने को मिलती है कि बैंक खाते से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सामान खरीद लिया गया है अथवा बैंक खाते से रकम किसी अन्य के बैंक खाते में ट्रांसफर हो गयी है या विदेशी बैंक खाते में चली गयी है। इस घटना के शिकार कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं होते हैं अपितु उच्च पदों पर आसीन उच्च शैक्षिक योग्यताधारी लोग भी हो रहे हैं अतः व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विषयों पर अध्ययन आवश्यक है।

प्राथमिक उपचार व यातायात नियमों की प्रैक्टिकल जानकारी व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा हेतु अनिवार्य हो

वर्तमान में उच्च शिक्षित युवा या व्यक्ति भी किसी अप्रिय घटना पर किसी की सहायता का इंतज़ार करने लगता है जबकि यदि वह स्वयं होश में है तो उसको स्वयं अपने प्राथमिक उपचार का प्रयास करना चाहिए या अन्य लोगों की मदद से बौद्धिक कार्यवाही करनी चाहिए। यदि आसपास अन्य लोग हैं तो यदि उनको भी प्राथमिक उपचार की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से वह ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। सभी वाहनों में अनिवार्य रूप से प्राथमिक उपचार बॉक्स होना चाहिए जिससे आपातकालीन स्थिति में उपचार किया जा सके।

अक्सर देखा जाता है कि लोग वाहनों में औपचारिकता के लिए प्राथमिक उपचार बॉक्स रखते हैं जो कि त्रुटिपूर्ण है। सड़क परिवहन के नियमों की जानकारी भी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए जिससे दुर्घटनाओं को विराम दिया जा सके। अतः व्यवहारिक ज्ञान में उक्त विषयों को गंभीरता से शामिल किया जाना चाहिए।

सामान्य कानूनी जानकारी की अनिवार्यता व्यवहारिक ज्ञान में उपयोगिता

अक्सर उच्च शिक्षित लोग भी सामान्य कानूनी जानकारी के अभाव में मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। जीवन में अनेक बार व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित कूटरचित शिकायतों का शिकार हो जाता है और उसका समाधान कानूनी जानकारी के अभाव में उसके लिए कठिन हो जाता है। सामान्य कानूनी जानकारियों का समावेश भी व्यवहारिक ज्ञान

की शिक्षा के अंतर्गत दी जानी चाहिए। उक्त के कारण लोगों के मानसिक तनाव में कमी आएगी। वर्तमान समय में अधिकतर लोग अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप व मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं अतः उपरोक्त जानकारियों का समावेश शिक्षा में भावी पीढ़ी को अवसाद मुक्त करने में भी सक्षम होगा।

उपभोक्ता कानूनों की जानकारी का समावेश व्यवहारिक ज्ञान में

वर्तमान में उच्च शिक्षित लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन उनका ज्ञान ऑनलाइन शॉपिंग हेतु सूक्ष्म है जिसके कारण अनेक बार ठगी के शिकार भी हो जाते हैं या उपभोक्ता कानूनों की जानकारी ना होने कारण भी अधिक मूल्य पर सामग्री खरीद लेते हैं जैसे Inclusive of all taxes or Enclusive of all taxes– की बारीकियां उनको पता नहीं होती हैं। हमारे देश में उपभोक्ता दैनिक उपभोग की वस्तुएं या सामान तो खरीदता रहता है लेकिन उसका बिल नहीं लेता है या बिल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या मोबाइल इत्यादि उत्पादों का ही लेता है जिसमें गारंटी जरूरी होती है। अतः उपभोक्ता कानूनों का समावेश व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत अनिवार्यतः होना चाहिए। उक्त प्रयोजन हेतु कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है जिनका वर्णन संदर्भ ग्रंथ सूची में किया गया है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विभिन्न आवश्यक बिंदुओं पर विचार किया गया और वास्तव में माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता उपरोक्त वर्णित कारणों से उपयोगी होगी। उक्त व्यवहारिक ज्ञान के समावेश से मानवकल्याण भी संभव नजर आता है और उसके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में भी कार्य होगा। उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर व्यवहारिक ज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु कुछ संदर्भ ग्रंथ सूची का विवरण भी संगलग्न है जिनका अवलोकन पाठ्यक्रम तैयार करने में किया जा सकता है। सभी छात्र छात्राओं व भावी पीढ़ी के उत्थान में निश्चित रुप से व्यवहारिक ज्ञान का पाठ्यक्रम लाभदायक होगा। उक्त पाठ्यक्रम सभी भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए और सभी छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए। आशा करते हैं शिक्षा सुधार की दिशा में यह लेख मील का पत्थर साबित होगा।

संदर्भ ग्रंथ:

सायबर लॉ -ई कॉमर्स: डेविड एल बामर

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986: लॉमनस

भारतीय संविधान:डी डी बसु व वी एन शुक्ला

ह्यूमन राइट्स लेबर राइट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड: लांस ए, स्टीफन एफ़ डायमंड

Corresponding Author

Lalita Pandey*

Research Scholar, Education

lalitapandey1980@gmail.com